

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2560706, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-10208/6215

दिनांक: 17-1-2022

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक, मध्य परिमण्डल,
रोहतक।

विषय :

Diversion of 0.011 ha. of forest land for access to retail outlet of IOCL on Sonapat Chowk to Sampla Chowk New NH-334B (Kharkhoda Bypass) at Chainage 37.100 (RHS) at village Kharkhoda-II (within Municipal Limit), under forest division and District Sonapat, Haryana.

Online Proposal No.FP/HR/Approach/149447/2021

संदर्भ :

आपका ऑनलाईन प्रस्ताव दिनांक 06-01-2022।

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670-व-2-2016/8430 दिनांक 6-5-2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 0.011 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति/स्वीकृति उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है :-

- (i) प्रयोक्ता एजेंसी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।
- (ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30-10-2002, 28-3-2008, 24-4-2008 एवं 9-5-2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 5-2-2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रैजैन्ट वैल्यू जमा करवाई जाए।
- (iii) प्रयोक्ता एजेंसी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की website www.parivesh.nic.in के माध्यम से अपने केस में चालान जनरेट करके उसमें अंकित लेखा में ही राशि जमा करवाएगी।
- (iv) "अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006" की अनुपालना में सम्बन्धित जिलाधीश की ओर से प्रमाण पत्र प्राप्त करके तुरन्त इस कार्यालय को भेजें।

3. अन्तिम स्वीकृति के उपरान्त निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जाएगा।

- (i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- (ii) प्रस्ताव के अनुसार कोई वृक्षों बाधक नहीं होगी। इसके अतिरिक्त 04 पौधे नष्ट होंगे।
- (iii) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
- (iv) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जब कभी भी एन0पी0वी0 की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की राशि को केम्पा हरियाणा के लेखा में जमा करवाने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।

1/12/2022

42
15.1.2022

- (v) इस प्रस्ताव को 15 वर्ष के लिए अनुमति प्रदान की जाएगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति सरकार से प्राप्त करनी होगी ।
- (vi) पेट्रोल पम्प / Fueling Station की पूरी परिधि (Periphery) पर दीवार से 1.5 मीटर जगह छोड़कर 1.0 से 1.5 मीटर के अन्तराल पर Light Crown पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाए ।
- (vii) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पहुँच मार्ग (Entry/Exit Or Deceleration/Acceleration) के साथ-साथ व विभाजक द्वीप (Separator Island) पर भी पौधारोपण किया जाएगा तथा इस विभाजक द्वीप का कोई भी वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया जाएगा ।
- (viii) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएंगे ।
- (ix) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा ।
- (x) सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा ।
- (xi) स्थानान्तरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गए कम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेन्ट के खम्भों द्वारा चिह्नित की जाएंगी ।
- (xii) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा ।
- (xiii) अन्य कोई भी भारत इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है ।
- (xiv) यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरणीय समाशोधन प्राप्त करेगी ।
- (xv) इन शर्तों में से किसी भी शर्त की उल्लंघना वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की उल्लंघना होगी, जिसके परिणामस्वरूप Guidelines 1.21 of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications)-2019 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।
- (xvi) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी ।

4. उपरोक्त पैरा-2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। अन्तिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला
12/11/2022

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ ।
2. वन मण्डल अधिकारी, सोनीपत ।
3. Dy. G.M. (Retail Sales) IOC Ltd. Paniapt.